भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 795

(03 दिसम्बर, 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा योजना के अन्तगत काय सारणी म संशोधन

795. श्री सी.एन. जयदेवनः

श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः

श्री असादुद्दीन ओवैसीः

श्री पी. नागराजनः

श्री दुष्यंत चौटालाः

श्री टी.जी. वकटेश बाबूः

श्री एंटो एन्टोनीः

श्रीमती कोथापल्ली गीताः

श्री नन्दी एल्लैयाः

श्री सी.एस. पुट्टा राजूः

श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ाः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करगे किः

(क) क्या सरकार के पास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अन्तगत विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए क्षेत्रों म मजूदरी काय सूची म संशोधन करने तथा श्रम दिवसों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का मनरेगा योजना के अंतगत नए काय शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसकी स्थिति क्या है; और

(घ) मनरेगा योजना म परिवतन के मामले म सरकार द्वारा क्या वित्तीय जटिलताओं का सामना किया जा सकता है और मनरेगा योजना के अन्तगत विशेषकर महिलाओं पर जोर देते हुए लाभार्थियों पर ग्रामीण रोजगार और गरीबी पर इसके क्या प्रभाव पड़गे?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय म राज्य मंत्री

(श्री सुदशन भगत)

(क) और (ख): सरकार ने देश के अधिसूचित सूखा प्रभावित अथवा प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों म महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) म प्रति परिवार 100 दिन के अलावा अकुशल मजदूरी काय के अतिरिक्त 50 दिन के लिए जरूरी प्रावधान किया है।

(ग) और (घ): राज्य सरकारों के साथ-साथ विभिन्न स्टेकहोल्डरों से प्राप्त सुझावों और फीडबैक के आधार पर नए कार्यों और दिशा-निदर्शों सहित अनुसूची म समय-समय पर बदलाव और संशोधन किए जाते ह।

*****